फर्द अहकाम

बाबूलाल यादव बनाम रणजीत कौर व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्या: 505/2025

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से
	20.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ओर से श्री हिमांशु श्रीमाल एडवोकेट ने वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र पेश किया जो शमिल मिसल हो। अप्रार्थी संख्या 3 ओर से श्री चेतन कुमार एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया शामिल मिसल हो। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने बहस निवेदन किया।

बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता सूनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अप्रार्थी संख्या 3 से मिली भगत कर प्रार्थी बाबूलाल यादव को पक्षकार बनाये बिना प्रार्थी की भूमि हडपने व उसको नुकसान पहुँचाने की नियत से भूमि खसरा नम्बर 336/1 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 347 रकबा 0.42 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.55 है0 वाके ग्राम खेडी गोकुलपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के सम्बन्ध में श्रीमान न्यायालय के समक्ष पत्थरगढ़ी करवाने बाबत् एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा सहमति प्रदान कर दी गयी थी जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमा कर निर्णय पारित कर दिया गया था। भूमि खसरा नम्बर 336/1 व खसरा नम्बर 347 के लगवा प्रार्थी बाबूलाल यादव व उसकी पत्नी की भूमि खसरा नम्बर 348, 372, 373/763, 379 व 373 है। जिसका पुख्ता सीमा निर्धारण नही हुआ था जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी बाबूलाल यादव ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व अन्य के विरूद्ध श्रीमान न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.12.2023 को एक वाद बाबत् सीमा निर्धारण व स्थाई निषेधाज्ञा का उनवानी बाबूलाल वगैराह बनाम रणजीत कौर वगैराह वाद संख्या 247/2023 प्रस्तुत किया था जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की तामिल भी हो चुकी थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से दिनांक 06.05.2024 को श्री निर्मल कुमार जैन एडवोकेट द्वारा वकातलनामा भी पेश किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता ने कहा कि

.....लगातार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

बाबूलाल यादव बनाम रणजीत कौर व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्याः 505/2025

20.06.2025

उन्होनें अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवा रखा है तथा उक्त वाद में श्रीमान् न्यायालय द्वारा दिनांक 28.05.2024 को उभय पक्षकारान की सहमति/बहस सूनी जाकर प्रार्थी का वाद यह कहते हुए डिक्री किया गया कि " प्रार्थी/वादी बाबूलाल यादव ने अपने दावें में अपनी कृषि भूमि का पुख्ता सीमाज्ञान ही चाहा तथा विवादग्रस्त भूमि की पुनः नाप करवाये जाने में उभय पक्षकारान को आपत्ति नही है। दोनों पक्षों ने तहसीलदार से नाप करवाने में भी सहमति दी है। ऐसी स्थिति में पक्षकारों में केवल जमीन नाप का ही विवाद है। इस कारण इस वाद को इस स्तर पर सहमति से निस्तारित किया जा रहा है तथा तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वों वादी के आवेदन पर वादी की भूमि का अपने स्तर पर या आवेदन अनुसार ई0डी0एम0 मशीन से पुख्ता सीमाज्ञान करवा देवें तथा पक्षकार एक दूसरे की भूमि में दखलन्दाजी नही करे। " उक्त आदेश की पालना करवाने के लिए दिनांक 18.06.2024 को प्रार्थी बाबूलाल यादन ने अप्रार्थी संख्या 4 के यहां प्रार्थना पत्र मय आदेश की प्रमणित प्रति प्रस्तुत की है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अप्रार्थी संख्या 3 के साथ मिली भगत कर श्रीमान् न्यायालय को गुमराह कर तथा प्रार्थी बाबूलाल यादव की जमीन हडपने व उसे हैरान परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र संख्या 74/2024 उनवानी रणजीत कौर वगैराह बनाम घनश्याम मीणा वगैराह प्रस्तुत किया था जिसकी जानकारी प्रार्थी बाबूलाल यादव को कभी नही रही तथा प्रार्थी बाबूलाल यादव को उक्त वाद में पक्षकार बनाये बिना ही तथा न्यायालय को गुमराह करते हुए न्यायालय से दिनांक 23.05.2024 को उक्त निर्णय पारित करवा लिया गया लेकिन माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.05.2024 की पालना करवाये बिना व सीमाज्ञान करवाये बिना उक्त निर्णय की पालना करवाने व पत्थरगढ़ी करवाने एवं अवैध कॉलोनी बसाने व निर्माण करने पर आमदा है जिससे उक्त निर्णय की अपील प्रस्तुत करने तक उक्त निर्णय की क्रियान्वति स्थगित किया जाना न्याय हित में उचित एवं आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र संख्या 74/2024 उनवानी रणजीत कौर वगैराह बनाम घनश्याम मीणा वगैराह निर्णय दिनांक 23.05.2024 की प्रार्थी द्वारा जानकारी से अपील प्रस्तुत करने की मियाद तक उक्त प्रकरण की क्रियान्वति स्थगित फरमायी जावे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए

-----लगातार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

बाबूलाल यादव बनाम रणजीत कौर व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्याः 505/2025

20.06.2025

अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावें। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय की आज्ञा दिनांक 23.05.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है जो स्पष्टतया मयाद बाहर होने से प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व प्रार्थी के मध्य उनकी सीमा को लेकर विवाद है और इसका निस्तारण तभी सम्भव हो सकेगा जब दोनों पक्षों की भूमि का सीमाज्ञान होगा, माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा इन्कार करने पर राजस्व टीम द्वारा मौके पर सीमाज्ञान करने आने पर प्रार्थी धनबल व भुजबल के आधार पर शान्ति भंग की तो राजस्व विभाग से आये अधिकारी व कर्मचारीगण बिना सीमाज्ञान करे वापस लौट गये, इस प्रकार प्रार्थी मौके पर किसी प्रकार का सीमाज्ञान होने नही देना चाहता है बल्कि मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को नाजायज हैरान व परेशान करना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाये जाने की आज्ञा प्रदान की जावें।

बहस उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2024 के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो लगभग 1 वर्ष की लम्बी अवधि के पश्चात् पेश किया है, परन्तु प्रार्थी का यह कथन रहा कि प्रार्थी को इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.05.2024 की कोई जानकारी नही रही है, प्रार्थी को इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2024 की कोई जानकारी नही होने से दिनांक 13.06.2025 को क्रियान्वति स्थगित फरमाई जाने के आदेश पारित किये है। उभयपक्षकारान की ओर से यह तर्क रहा है कि दोनों पक्षों के मध्य विवाद का मुख्य बिन्दू सीमा निर्धारण का रहा है और इस बिन्दू का निस्तारण तभी सम्भव हो पायेगा जब दोनों पक्षों की भूमि का सीमाज्ञान हो, प्रार्थी भूमि का सीमाज्ञान ई0डी0एम0 मशीन द्वारा करवाना चाहता है, इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का यह तर्क रहा है कि प्रार्थी जिस प्रकार भी सीमाज्ञान करवाना चाहता है उसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 लागयत 3 सीमाज्ञान करवाने के लिए सहमत है। दोनों पक्षों के मध्य अत्यधिक तनाजे की स्थिति है जिसका निस्तारण ई0डी0एम0 मशीन द्वारा सीमाज्ञान किये

.....लगातार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

बाबूलाल यादव बनाम रणजीत कौर व अन्य
प्रार्थना पत्र संख्या 505/2026

20.06.2026

जाने के उपरान्त ही निस्तारण हो सकता है, ऐसी स्थिति में विवाद के मुख्य बिन्दु को मध्य नजर रखते हुए ई0डी0एम0 मशीन से सीमाज्ञान किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र को इस आशय के साथ निस्तारित किया जाता है कि प्रकरण संख्या 74/2024 उनवानी रणजीत कौर वगैराह बनाम घनश्याम मीणा वगैराह के निर्णय दिनांक 23.05.2024 तथा प्रकरण संख्या 247/2023 उनवानी बाबूलाल वगैराह बनाम रणजीत कौर वगैराह के निर्णय दिनांक 28.06.2024 में वर्णित विवादग्रस्त भूमि ग्राम खेडी गोकुलपुरा, पटवार हल्का खेडी गोकुलपुरा, भू.अभि.नि.क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 348, 372, 373/763, 379, 373, 336/1, 347 का तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण संख्या 74/2024 उनवानी रणजीत कौर बनाम घनश्याम मीणा एवं प्रकरण संख्या 247/2023 उनवानी बाबूलाल बनाम रणजीत कौर व अन्य में पारित निर्णय की पालना उक्त आदेश के आधार पर भू–प्रबन्ध विभाग के माध्यम से ई0डी0एम0 मशीन द्वारा टीम गठित कर पुख्ता सीमा निर्धारण करें, यदि पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करें। उक्त आदेश की प्रति उक्त दोनो पत्रावलियो में संलग्न की जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर)
जयपुर।